न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर

जिला ग्वालियर म0प्र0

R - 2380 - III/14

Rs. 301 -

पनौआ पिता रामेश्वर पत्नी जानकी प्रसाद पटेल निवासी ग्राम हर्दी, तहसील हनुमना, थाना शाहपुर, जिला रीवा म0प्र0 ....अपीलार्थी

बनाम

01- गल्ली पुत्री मंगल पटेल

02- छोटकी पुत्री मंगल पटेल

03- चन्द्रवती पत्नी लल्लू

04- विजय कुमार तनय लल्लू

05- बृजेश कुमार तनय लल्लू

06- ममता पुत्री लल्लू पटेल

07- तिरजुआ पुत्री लल्लू पटेल

सभी निवासी ग्राम पहाड़ी, तहसील हनुमना, जिला रीवा म0प्र0......

....**रेस्पाडेण्टगण**

श्री विनोद कुमार शुक्ला एड. के द्वारा आज दिनांक 20.06.14 प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 2386 ~~रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा~~ आज दिनांक 25.7.14 को प्राप्त। ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

~~अपील~~ रिवीजन विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कमिश्नर महोदय रीवा संभाग रीवा के राजस्व प्रकरण क0-326/अपील/05-06 आदेश दिनांक 30/08/2006

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि आराजी किता कुल 23 कुल रकबा 66.51ए0 बाके मौजा भमरहा, तहसील हनुमना, जिला रीवा म0प्र0 का नामांतरण पिता भूमिस्वामी रामेश्वर के मरने के पश्चात मंगल तनय लक्ष्मी पटेल साकिन पहाड़ी के नाम जरिये पंजी क0-14 दिनांक 30/09/1975 को राजस्व निरीक्षक पहाड़ी के द्वारा प्रमाणित किया गया इस आदेश के विरुद्ध अपीलाण्ट पनौआ पिता रामेश्वर पटेल द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय मउगंज जिला रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गयी, इस अपील में मुख्य रूप से यह प्रश्न उठाया गया था कि विवादित उक्त आराजियात अपीलाण्ट एवं उसके भाई मंगल वगैरह के संयुक्त स्वामित्व की आराजियात थी जिसमें पनउआ/अपीलाण्ट 1/2 के हिस्सेदार व हितबद्ध पक्षकार थी जिसकी सुनवाई किये वगैर ही अपीलाण्ट

क्रमशः..............2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2380-III/14 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.16	प्रकरण में आवेदकपत्र के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए, तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों की प्रतियों, मेमो एवं नस्ती का परिशीलन किया गया।	
	आवेदक ने प्रकरण को अपील की जगह बतौर निगरानी विचार किए जाने हेतु निवेदन किया है जिसे स्वीकार किया जाता है।	
	आवेदिका का कहना है कि वह अनपढ़ महिला है जो अन्दरूनी वनीय क्षेत्र के गाँव में रहती है, अतः अपने पक्ष समर्थन के लिये अधिवक्ता पर निर्भर रहती है।	
	वर्ष 2006 के आरोपित आदेश की जानकारी उसे उसके अधिवक्ता ने नहीं दी। जानकारी जब इसे वर्ष 2014 में मिली तब इसने रा.मं. में यह प्रकरण प्रस्तुत कराया।	
	प्रकरण का संक्षेप कि दि 30.9.75 को बिना पत्रकार बनाए, उसके बताए अनुसार इसके पिता की सम्पत्ती का नामान्तरण इसे छोड़कर अन्य के पक्ष में हुआ। जानकारी मिलने पर जब इसने SDO को अपील की तो SDO ने प्रकरण गुणदोष पर विचार हेतु दि. 25.8.05 को प्रत्यावर्तित कर दिया। उसके विरुद्ध	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अपर आयुक्त के समक्ष अपील हुई जिन्होंने SDO का आदेश निरस्त कर दिया। इसके विरुद्ध आवेदिका रा.मं. में आई।	
	प्रकरण में मुख्य विचार योग्य बात यह है कि यदि आवेदिका का वाद सम्पत्ती पर स्वत्वाधिकार बनता है, तो केवल अन्य के हित में नामान्तरण हो जाने से या विलम्ब हो जाने से वह विनष्ट नहीं हो सकेगा। SDO द्वारा इस बिन्दु पर विनिश्चय के लिए यदि प्रकरण प्रत्यावर्तित किया तो उसमें गलती नहीं मानी जा सकती; वह न्यायहित में उपयुक्त था।	
	उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में, पूर्ण विचारोपरान्त मैं अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश निरस्त करता हूँ, SDO का आदेश यथावत रखता हूँ और विचारण न्यायालय को उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर गुणदोष पर निर्णय लेने के लिए निर्देशित करता हूँ। अनावेदक को पक्षसमर्थन का अवसर अभी विचारण न्यायालय के समक्ष उपलब्ध है, जिसका वे उपयोग कर सकते हैं।	
	आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा.द. हो।	
	सदस्य	